

**TO BE PUBLISHED IN PART 1 SECTION-1 OF GAZATTE OF INDIA
EXTRAORDINARY**

F. No. 6/24/2020-DGTR
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Trade Remedies
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi

Dated: 06.12.2021


Corrigendum Notification
Case no. ADD-OI-20/2020

Subject: Final Findings of Anti-dumping investigation concerning imports of "Glass Fibre and Article thereof" originating in or exported from Bahrain and Egypt.

F. No.6/24/2020-DGTR: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority has issued the Final Finding Notification No. 6/24/2020 dated 30.11.2021 in respect of the above anti-dumping investigation.

Paragraph 142 of the final finding stands substituted to be read as under:

"142. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col No.7 of the table below is recommended to be imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries."



(Anant Swarup)

Joint Secretary & Designated Authority

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फाइल संख्या 6/24/2020 - डी जी टी आर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक: 06.12.2021

संशोधन अधिसूचना


मामला सं. एडीडी - ओआई- 20/2020

विषय: बहरीन तथा मिश्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लास फाइबर तथा उसकी वस्तु" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम ।

फा.सं. 6/24/2020-डीजीटीआर : समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क (पाटित वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995, को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपर्युक्त पाटनरोधी जांच के संबंध में दिनांक 30.11.2021 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/24/2020 जारी की है ।

अंतिम जांच परिणाम का पैरा 142 प्रतिस्थापित किया गया है जिसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :

"142. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके । तदनुसार, निम्नलिखित तालिका के कॉलम 7 में दर्शायी गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है ।"


(अंनंत स्वरूप)

संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी